भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1539
दिनांक 10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एम्स संस्थान

1539. श्री उत्तम कुमार रेड्डी:
श्री गोपाल जी ठाकुर:
श्री दीपक बज

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कार्यरत एम्स और एम्स जैसे संस्थानों की कुल बिस्तर क्षमता, कुल मेडिकल स्टाफ, पैरा मेडिकल स्टाफ तथा ऐसे संस्थानों में नामांकित एमबीबीएस और स्नातकोत्तर छात्रों की कुल संख्या सहित संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या मानव संसाधनों की कमी के कारण देश में कार्यरत कई एम्स अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ग) क्या एम्स की कुछ प्रस्तावित परियोजनाओं, विशेषकर एम्स बीबीनगर और दरभंगा को पूरा करने में बहुत देरी हो रही है;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके विशिष्ट कारण क्या हैं; और
(ङ) उक्त संस्थानों के कब तक क्रियाशील होने की संभावना है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) देश में एम्स और एम्स जैसे संस्थानों का ब्यौरा, कुल बिस्तर क्षमता, कुल मेडिकल, परा-चिकित्सा स्टाफ, ऐसे संस्थानों में नामांकित एमबीबीएस और स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की कुल संख्या सहित संस्थान-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) विभिन्न एम्स में, विभिन्न संकाय और गैर-संकाय पदों पर भर्ती अतिरिक्त सेवाओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए की जाती है। नव सृजित एम्स में संकाय सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं

I. रिक्तियों को शीघ्र भरने हेतु सुगम बनाने के लिए प्रत्येक नए एम्स में स्थायी चयन समिति (एसएससी) का गठन किया गया है।
II. प्रोफेसर और एडिशनल प्रोफेसर के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दी गई है।

III. सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में सेवारत संकाय को प्रतिनियुक्ति के आधार पर लेने के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

IV. 70 वर्ष तक की आयु के सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों के सेवानिवृत्त संकाय सदस्यों की संविदात्मक नियुक्ति की भी अनुमति दी गई है।

V. अप्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) कार्ड धारकों को संकाय पदों पर नियुक्त किए जाने की अनुमति दी गई है।

VI. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संकाय को शिक्षण और शैक्षिक प्रयोजनों के लिए नव स्थापित एम्स में कार्य करने की अनुमति देने के लिए विजिटिंग फैकल्टी स्कीम तैयार की गई है।

VII. एक विभाग से दूसरे विभाग में ऋण आधार पर संकाय पदों के अस्थायी विपथन की अनुमति दी गई है, जिन्हें संविदा के आधार पर भरा जा सकता है।

VIII. रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भर्ती हेतु एक वर्ष की वैधता वाला विज्ञापन जारी किया गया है।

IX. नर्सिंग संवर्गों के लिए केन्द्रीकृत भर्ती शुरू की गई है।

(ग) से (ङ) मंत्रालय नए एम्स की नई परियोजनाओं की प्रगति पर बारीकी से निगरानी करता है। कार्यों का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जिसमें राज्य सरकार द्वारा भारग्रस्तता मुक्त भूमि का हस्तांतरण, विनियामक अनापत्तियां और स्थल विशेष संबंधी मुद्दे शामिल हैं। एम्स बीबीनगर के निर्माण का टेंडर जुलाई, 2022 में दिया गया था और स्थल पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बिहार सरकार ने एम्स के निर्माण के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को 200 एकड़ भूमि निशुल्क हस्तांतरित नहीं की है।

अनुलग्नक

देश में कार्यरत एम्स का विवरण:

क्र.सं.	एम्स	स्वीकृत अस्पताल के बेड	स्वीकृत एमबीबीएस की सीटें प्रति वर्ष	पीजी सीटें	संकाय			गैर-संकाय		
					स्वीकृत पद	पदस्थ	रिक्त	स्वीकृत पद	पदस्थ	रिक्त
1.	दिल्ली	3279	125 + 7 विदेशी नागरिक	1213	1131	904	227	12524	10773	1751
2.	भोपाल	960	125	103	305	198	107	3884	1857	2027
3.	भुवनेश्वर	960	125	141	305	231	74	3884	1984	1900
4.	जोधपुर	960	125	312	305	224	81	3884	2465	1419
5.	पटना	960	125	186	305	177	128	3884	1906	1978
6.	रायपुर	960	125	215	305	184	121	3884	2251	1633
7.	ऋषिकेश	960	125	443	305	200	105	3876	2216	1660
8.	मंगलगिरि	960	125	32	183	115	68	1054	629	425
9.	नागपुर	960	125	50	183	123	60	1054	659	395
10	कल्याणी	960	125	26	183	105	78	1012	537	475
11.	गोरखपुर	750	125	-	183	80	103	1038	517	521
12.	बठिंडा	750	100	50	183	112	71	1038	609	429
13.	बिलासपुर	750	100	-	183	91	92	1018	320	698
14.	गुवाहाटी	750	100	-	183	79	104	1026	122	904
15.	देवघर	750	125	11	183	96	87	1018	412	606
16.	बीबीनगर	750	100	21	183	100	83	971	335	636
17.	रायबरेली	610	100	-	183	82	101	975	663	312
18.	राजकोट	750	100	-	183	65	118	951	280	671
19.	मदुरै	750	100	-	183	8(संविदात्मक संकाय)	183	32	0	32
20.	विजयपुर जम्मू	750	100	-	183	77	106	959	391	568

*****